कलेक्टर ने रीवा के ग्राम गड़रिया में अवैध कॉलोनी निर्माण पर की कार्रवाई

भू-स्वामियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने और संपत्ति कुर्की के दिए आदेश

नवभारत न्यूज

रीवा, 6 अगस्त, कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने हुजूर नगर तहसील अंतर्गत ग्राम गड़रिया में बिना वैध अनुमति के अवैध कालोनी विकसित करने वाले भू-स्वामियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार तहसील हुजूर नगर के वृत्त कोठी स्थित पटवारी हल्का नंबर 33 के ग्राम गड़रिया में विभिन्न भू-स्वामियों द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध रूप से भू-खंडों की प्लाटिंग कर कालोनी बसाने का मामला सामने आया था। राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि संबंधित भू-स्वामियों ने कृषि भूमि का डायवर्सन कराए बिना उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर लोगों को विक्रय कर दिया। जिन्हें भूखण्ड विक्रय किए गए हैं उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। इस क्षेत्र में बिना अनुमति के कच्ची सड़कें बनाई गईं तथा पेयजल और ड्रेनेज की व्यवस्था कराए बिना निर्माण कार्य कराए गए। भू स्वामियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी से कालोनी विकास की अनुमति नहीं प्राप्त की गई और न ही कालोनी स्थापना संबंधी अन्य प्रावधानों का पालन किया गया, जिससे शासन को भारी राजस्व एवं आश्रय शुल्क की हानि हुई है। इस पूरे मामले में एसडीएम हुजूर की जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा सभी संबंधित 12 भू-स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया था। प्रकरण में शामिल एक अनावेदक देवेंद्र कुमार तिवारी (जो नोटिस तामील होने के बाद भी अनुपस्थित रहे) को छोड़कर अन्य सभी भू-स्वामियों ने अपना-अपना जवाब प्रस्तुत किया। भू-स्वामियों ने अपने जवाब में पारिवारिक आवश्यकताओं, कर्ज चुकाने और इलाज के खर्चों का हवाला देते हुए जमीन बेचने की बात स्वीकार की, परंतु अवैध कालोनी निर्माण के आरोपों को स्वीकार नहीं किया। कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत सभी जवाबों और दस्तावेजों का गहन परीक्षण करने पर पाया गया कि किसी भी भू-स्वामी के पास कालोनी विकास, डायवर्सन अथवा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की कोई वैध अनुमति उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण उनके द्वारा प्रस्तुत पक्ष असंतोषजनक पाए गए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने अवैध कालोनी की स्थापना में हुई अनियमितताओं के कारण भू-स्वामियों के विरुद्ध कड़े आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत एसडीएम हुजूर को निर्देशित किया गया है कि वे कालोनी निर्माण में संलग्न भू-स्वामियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएं। इसके अलावा, कालोनी में वर्तमान में निवास कर रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दोषी भू-स्वामियों की अन्य स्थान पर स्थिति भूमि या अविक्रीत भूमियों को कुर्क कर तत्काल कब्जा प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन पर कार्रवाई के दिए आदेश

कलेक्टर ने भूमि स्वामियों गिरिवरधारी पिता गया प्रसाद दुबे निवासी जिवला तहसील रायपुर कर्चुलियान, रामलली दुबे पिता चन्द्रशेखर प्रसाद दुबे निवासी शिवप्रसाद मार्ग बेलाऊहन टोला समान रीवा तथा गोमती प्रसाद पिता रामगोपाल दुबे निवासी जिवला तहसील रायपुर कर्चुलियान के विरूद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार श्रीनिवास विश्वकर्मा पिता हजारीलाल विश्वकर्मा, श्रीमती प्रेमवती पत्नी हजारीलाल विश्वकर्मा, अनीता विश्वकर्मा पुत्री हजारीलाल विश्वकर्मा, संजू उर्फ अंजू पुत्री हजारीलाल विश्वकर्मा तथा चिड्डी पिता हजारीलाल विश्वकर्मा निवासी गड़रिया तहसील हुजूर नगर के विरूद्ध भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने श्रीमती धनवन्ती रजक पत्नी मधुवन निवासी रीवा तहसील हुजूर, श्रीमती पूनम पत्नी रामानुज विश्वकर्मा निवासी मढ़ीकला तहसील मनगवां, तथा सुरेश कुमार उपाध्याय पिता सूर्य प्रसाद उपाध्याय निवासी रतहरी तहसील हुजूर नगर रीवा के विरूद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एक अन्य भू स्वामी देवेन्द्र कुमार तिवारी पिता रूद्र प्रताप तिवारी निवासी रायपुर कर्चुलियान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

सीईओ ने संभाला निगमायुक्त का पद

साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम को लेकर दिए निर्देश

नवभारत न्यूज

सतना,6 अगस्त. मुख्य कार्यापलन अधिकारी जिला पंचायत शैलेंद्र सिंह ने गुरुवार को आयुक्त नगर निगम का पदभार भी ग्रहण कर लिया. जिसके फौरन बाद ही उन्होंने बैठक लेते हुए संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

निगमायुक्त शैलेंद्र सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनसमस्यायों के त्वरित निराकरण को लेकर किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी अधिकारी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियमित रुप से अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण करें. इस दौरान आमजन से सीधा संवाद स्थापित करते हुए प्राप्त शिकायतों और समस्यायों का यथा संभव मौके पर ही निराकरण करना सुनिश्चत करें. जिन प्रकरणों में तत्काल समाधान संभव न हो उनमें समयबद्ध कार्रवाई करते हुए निर्धारित अवधि में निराकरण किया जाए.

शिकायत पर तय होगी जवाबदेही

इसी कड़ी में निगमायुक्त श्री सिंह ने निर्देशित किया कि भ्रमण के दौरान प्रत्येक शिकायत का विधिवत पंजीयन कर उसकी नियमित समीक्षा की जाए. साथ ही सभी विभागों को आपसी समण्वय के साथ कार्य करते हुए जनसमस्यायों के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. इसके साथ ही बैठक में यह जानकारी भी साझा की गई कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आज सुबह 11 बजे जोन कार्यालय टिकुरिया टोला में जन समस्या निराकरण शिविर आयोजित किया जाएगा. निगमायुक्त द्वारा ननि के विभिल्ल विभागों के अधिकारियों को शिविर में उपस्थित रहकर समस्यायों की सुनवाई और उनके निराकरण के निर्देश भी दिए गए.

खेत से हरे गांजे के पेड़ जब्त, आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

सीधी, 6 अगस्त. अमिलिया पुलिस की कार्रवाई में अवैध गांजे की खेती करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर 50 हजार रुपये कीमत के हरे गांजे के पेड़ जप्त किये गये।

अमिलिया पुलिस के अनुसार दिनांक 05 अगस्त 2026 को दोपहर लगभग 1 बजे मुखबिर के माध्यम से सटीक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रामनगर कला का निवासी यदुनाथ यादव पिता बंशपति यादव उम्र 51 वर्ष अपने खेत (कोलिया) में केला के पेड़ों के बीच अवैध रूप से बिक्री के उद्देश्य से मादक पदार्थ गांजा की खेती कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए अमिलिया पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश दी और विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से 3 नग गांजे के हरे पेड़ ऊंचाई लगभग 8 फीट जप्त किए। जप्तशुदा मादक पदार्थ का कुल वजन 5 किलोग्राम तथा अनुमानित कीमत 50 हजार रुपये है।

नवानगर में युवक का संदिग्ध शव मिला, जांच शुरू

नवभारत न्यूज

सिंगरौली, 6 अगस्त. नवानगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है।

थाना क्षेत्र के समीप फौजी होटल के पास स्थित एक किराए के कमरे में गाजीपुर निवासी संतोष राय उर्फ सनी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही नवानगर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

दहेज हत्या का मामला, पति व जेठ जेल भेजे गए

खरखौली गांव में नवविवाहिता की हुई थी संदिग्ध मौत

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 अगस्त। गढ़वा थाना क्षेत्र के ग्राम बीछी खरखौली में नवविवाहिता अंकिता उर्फ आंचल यादव की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए आरोपी पति और जेठ को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट देवसर के समक्ष चालान प्रस्तुत किए जाने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

पुलिस के अनुसार अंकिता का विवाह 20 अप्रैल 2026 को अमरजीत उर्फ सोनू यादव निवासी बीछी के साथ हुआ था। विवाह के करीब तीन माह बाद 11 जुलाई को उसका शव घर की ओसारी में फांसी के फंदे से लटका मिला था। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि पति अमरजीत यादव और जेठ रणजीत यादव मायके की जमीन में आधा हिस्सा दिलाने का दबाव बना रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर अंकिता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। एसडीओपी चितरंगी द्वारा कराई गई मर्ग जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामला दहेज प्रताड़ना एवं दहेज मृत्यु से संबंधित पाया गया। इसके बाद गढ़वा थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85ए 3(5)तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के तहत अपराध दर्ज किया। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्यों के साथ चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी पति अमरजीत उर्फ सोनू यादव और जेठ रणजीत यादव को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

सराफा दुकान में महिलाओं ने जेवर पर किया हाथ साफ

सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गुड़हाई बाजार में हुई घटना

नवभारत न्यूज

रीवा, 6 अगस्त, सराफा दुकान में ग्राहक बनकर आई महिलाओं ने दुकान में हाथ की सफाई दिखाई और सोने के जेवर गायब हो गए. दुकानदार को इस बात की जानकारी तब हुई जब महिला दुकान से जा चुकी थी जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है दुकानदार के द्वारा तकरीबन 10 सोने की कील चोरी होने की सूचना पुलिस को दी गई है.

घटना के संबंध में थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने बताया है कि गुड़हाई बाजार स्थित मालती ज्वेलर्स में बीते दिवस दोपहर तकरीबन 2:30 बजे दो महिलाएं खरीदारी करने आई हुई थी. दुकान संचालक का कहना है कि महिलाओं के द्वारा कोई खरीदारी नहीं की गई लेकिन जब वह अपना सामान समेट रहा था तो पता चला कि तकरीबन 10 सोने की कील चोरी हो चुकी है. फरियादी के द्वारा उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस संदिग्ध महिलाओं की तलाश कर रही है. वही संबंध में थाना प्रभारी निशा मिश्रा का कहना है कि सराफा दुकान में इसके पूर्व भी विभिन्न शहरों में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है जिसके लिए सराफा दुकानदारों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. चेहरे को छिपाकर या फिर फेस कवर करके यदि महिलाएं आती है तो उन पर दुकानदार को सतर्क रहने की आवश्यकता है . फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद अब पुलिस के द्वारा दोनों संदिग्ध महिलाओं की तलाश की जा रही है.

पड़री राजा टोला में फांसी के फंदे पर झूली किशोरी

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 अगस्त। माड़ा थाना क्षेत्र के पड़री राजा टोला में आज गुरूवार की सुबह करीब 10 बजे एक किशोरी अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली है।

पुलिस के अनुसार शिवप्रसाद सिंह गोड़ निवासी पड़री राजा टोला ने सूचना देते हुये बताया कि बेटी अर्पिता सिंह घर में अकेली थी। परिवारजन इधर-उधर थे। उसने जहां सुना घर पा कर अर्पिता ने कमरे के अंदर छत में पट्टी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने का कारण फिलहाल अज्ञात है। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है।

विक्रेता गिरफ्तार

रीवा, 6 अगस्त, जिले के सिरमौर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सदहना की शासकीय उचित मूल्य की दुकान के राशन के स्टाक को खुर्द-बुर्द सहित अन्य अनियमितता किए जाने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस पूरी कार्यवाही के संबंध में थाना प्रभारी सिरमौर प्रशांत शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विनीत मिश्रा की शिकायत पर हुई.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड | IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूँकि अधोहस्ताक्षरी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय हो चुका है) के अधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.08.2025 को उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता एवं जमानतदार 1. गोलू लववंशी 2. अंगूरी लववंशी को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसके माध्यम से उन्हें उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर दिनांक 29.08.2025 तक देय 7,35,477.80 (सात लाख पैंतीस हजार चार सौ सतत्तर और अस्सी पैसे मात्र) का भुगतान करने हेतु कहा गया था।
चूँकि उधारकताओं द्वारा उक्त देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा उसके साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 03 अगस्त, 2026 को अपने अधिकार में ले लिया है।
उधारकताओं तथा आम जनता को एतद्द्वारा विशेष रूप से सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें। यदि कोई व्यक्ति उक्त संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन करता है, तो ऐसा लेन-देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय हो चुका है) के पक्ष में रू. 7,35,477.80 (सात लाख पैंतीस हजार चार सौ सतत्तर और अस्सी पैसे मात्र) तथा उस पर देय ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।
उधारकर्ता का ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार उसे सुरक्षित परिसंपत्ति का मोचन (ऋण का संपूर्ण भुगतान कर संपत्ति को मुक्त कराने) हेतु अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर उपलब्ध अधिकार का उपयोग करने का अवसर प्राप्त है।

अचल संपत्तियों का विवरण।

वह अचल संपत्ति (आवासीय घर) जिसका कुल प्लॉट एरिया 2240 वर्ग फुट (208.178 वर्ग मीटर) है; जिसमें फउ.उ. से बना ग्राउंड फ्लोर एरिया 1120 वर्ग फुट (104.089 वर्ग मीटर), R.C.C. से बना फर्स्ट फ्लोर एरिया 1120 वर्ग फुट (104.089 वर्ग मीटर) और खाली जमीन का एरिया 1120 वर्ग फुट (104.089 वर्ग मीटर) शामिल है। यह संपत्ति सर्वे नंबर 90/1, हाउस नंबर 38 में स्थित है; जो गाँव: पंजारी, पीएच नंबर 46, तहसील: नरसिंहगढ़, ज़िला: रायगढ़, राज्य: मध्य प्रदेश-465669 में है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: ग्यारसीराम की जमीन, पश्चिम: सड़क, उत्तर: मुकेश का घर, दक्षिण: जगदीश सेन का घर।

दिनांक: 03.08.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
ऋण खाता संख्या: 142527405

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

राजस्व वसूली में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें : अजीत

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 अगस्त। विद्युत व्यवस्था को अधिक मजबूत, पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित बनाने के उद्देश्य से अधीक्षण अभियंता संचालन-संधारण वृत्त सिंगरौली अजीत सिंह बघेल की अध्यक्षता में वृत्त कार्यालय में राजस्व संवर्धन एवं विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ीकरण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कार्यपालन अभियंता ओएंडएम ओपी द्विवेदी, कार्यपालन अभियंता शहर दिनकर प्रसाद दुबे, कार्यपालन अभियंता एसटीएम-एसटीसी उपेन्द्र कुमार यादव सहित जिले के सभी उपसंभागों के सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, वितरण केंद्रों एवं निर्माण उपसंभागों के प्रभारी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राजस्व संग्रहण, बकाया वसूली, बिलिंग, मीटर रीडिंग, स्मार्ट मीटर, एमआरआई-एएमआर, विद्युत चोरी की रोकथाम, उपभोक्ता शिकायतों के निराकरण तथा राजस्व बढ़ाने से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। अधीक्षण अभियंता अजीत सिंह बघेल ने निर्देश दिए कि प्रत्येक वितरण केंद्र में बड़े बकायेदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए.

पंप फीडरों के भार विश्लेषण फोकस

बैठक में गैर-कृषि फीडरों से संचालित कृषि कनेक्शनों में मीटर स्थापना, पंप फीडरों के भार विश्लेषण, फेल ट्रांसफार्मरों के त्वरित प्रतिस्थापन, आरडीएसएस के लंबित कार्य, स्मार्ट मीटरिंग, विद्युत चोरी के मामलों, 1912 एवं सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की भी समीक्षा हुई।

जमोड़ी पुलिस ने चोरी गई बाइक बरामद की, दो आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

सीधी, 6 अगस्त. जमोड़ी पुलिस ने थाना बहरी के सहयोग से चोरी गई अपाची मोटरसाइकिल बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार फरियादी शिवम यादव पिता बुद्ध यादव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पड़री, थाना जमोड़ी, जिला सीधी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 29 जुलाई 2026 को वह अपने मित्र रोहित केवट के यहां ग्राम मधुरी अपनी अपाची मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 53 जेडडी1489 से गया था। रात लगभग 10 बजे भोजन करने के बाद वह सो गया। रात करीब 3 बजे जब वह बाहर निकला तो देखा कि उसकी मोटरसाइकिल वहां खड़ी नहीं थी। आसपास तलाश करने पर भी मोटरसाइकिल नहीं मिली। किसी अज्ञात चोर द्वारा लगभग 90 हजार रुपये मूल्य की अपाची मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी। रिपोर्ट के आधार पर थाना जमोड़ी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान की। जांच में मुकेश प्रजापति निवासी खोचीपुर, थाना बहरी तथा जतिन उर्फ राइडर उर्फ लकी सोधिया निवासी मधुरी द्वारा उक्त मोटरसाइकिल चोरी करना पाया गया।

कैक्टस से ड्रैगन फ्रूट उससे जागती तरक्की की नई उम्मीद

पढ़े लिखे किसान ने खेती को फायदा का व्यवसाय बनाया

नवभारत न्यूज

सतना, 06 अगस्त पारंपरिक खेती के घटते मुनाफे और बढती बेरोजगारी के दौर में जिले के युवा किसान रंजीत ने कैक्टस प्रजाति के पेड़ से पैदा होने वाले ड्रेगन फ्रूट की खेती का लक्ष्य तय किया है. उचेहरा क्षेत्र के भर्री गांव के पढ़े-लिखे युवा किसान रंजीत कुशवाहा ने लीक से हटकर नई राह चुनी है।

एमएससी ड्रॉपआउट और बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद रंजीत ने पारंपरिक फसलों का मोह छोड़कर रेगिस्तानी पौधे (कैक्टस प्रजाति) ड्रैगन फ्रूट की व्यावसायिक खेती शुरू की है। इंटरनेट की मदद से इसकी बारीकियां सीखी .इस आधुनिक तकनीक के सहारे अब वे न केवल खुद के लिए बेहतर मुनाफा कमाने की सम्भावना पैदा कर चुके हैं, बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का माध्यम बन गए हैं नवभारत ने जिले में हो रही इस प्रकार की व्यवसायिक खेती की पड़ताल जब रंजीत के खेत पर जाकर की तो वहाँ का दृश्य ही अलग था. बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई के दौरान ही कृषि क्षेत्र में कुछ नया करने का मन बना रंजीत ने बताया नौकरी की पुरानी परिपाटी को छोड़ उन्होंने नए विकल्पों की तलाश शुरू की, तो इंटरनेट पर उन्हें ड्रैगन फ्रूट की खेती की जानकारी मिली। उन्होंने बिना सोचे-समझे बड़ा जोखिम लेने के बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने पहले केवल 4 से 5 पौधे लगाकर अपने खेत की मिट्टी और जलवायु में इसका ट्रायल किया। जब ट्रायल पूरी तरह सफल रहा और पौधे बेहतर तरीके से बढ़ने लगे, तब उसके बाद बड़े पैमाने पर खेती करने का फैसला किया.रंजीत ने बाजार की मांग और बेहतर पैदावार को देखते हुए ड्रैगन फ्रूट की %रेड जंबो% किस्म को चुना, जिसके एक फल का वजन ही 500 से 800 ग्राम तक होता है।

6 महीने का उत्पादन चक्र, जून से शुरू होती है फसल-यह फसल साल में लगभग 6 महीने फल देती है। जून के महीने से पौधों में फूल आना शुरू हो जाते हैं। फूल आने के बाद उसे परिपक्व फल बनने में लगभग 60 दिन (2 महीने) का समय लगता है। आधा एकड़ में तैयार यह खेत अब आने वाले सालों में रंजीत को लंबे समय तक बेहतर मुनाफा देगा, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट का एक बार लगाया गया पौधा 20 से 25 सालों तक फल देता रहता है। रंजीत कुशवाहा का यह प्रयास साबित करता है कि अगर सही तकनीक, जानकारी और इच्छाशक्ति हो, तो कृषि के क्षेत्र में भी एक शानदार करियर बनाया जा सकता है।

फल का उत्पादन और बिक्री

एक पौधे से लगभग 6 महीने में 16 से 24 किलोग्राम तक ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन होता है। बाजार में इसकी कीमत गुणवत्ता और मांग के अनुसार करीब 40 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है।

किसान को सोच बदलने की जरूरत : रंजीत

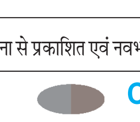

रंजीत कुशवाहा ने बताया कि किसानों को सोच बदलने की जरूरत है पारंपरिक खेती को कम से कम करके सब्जी और फल खेती करने के लिए जाए। जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा प्लाट नं.34, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित . संपादक- संजय पयासी * फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99